A0 205

SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT, KOLKATA CENTENARY HOSPITAL MEDICAL DEPARTMENT

OFFICE ORDER NO. 70

Dated: 21.10.2022

कार्यालय आदेश संख्या:-

दिनांक: 21.10.2022

There has been increasing number of requests from elderly patients to prescribe medicines for more than one month. There is also request to prescribe the monthly medicines to be handed over to their relatives in their absence.

Consequently, considering the medico-legal aspects of this type of requests, it has been decided that an official permissions/sanctions to be given by a committee to those who desires to have medicines for more than one month or by not attending to OPD physically. The following doctors will be member of the committee:-

1. Dr. Lim Chap Yun: Dy. C.M.O. (Spl.)

2. Dr. Samir Mujray : Sr. M.O.

3. Dr. Aloke Saha : Sr. M.O.

The committee will meet once in a week to judge the merit of the application and decide to give necessary order. Without the recommendation of the said committee no request from the any patients in the OPD will be entertained for prescribing medicines outside the usual protocol.

(Dr. D. Dutta) / (डॉ. डि. दत्त)

Chief Medical Officer/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी

to to awaye to horst in westite.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता सेंटेनरी अस्पताल चिकित्सा विभाग

कार्यालय आदेश संख्या:-70

दिनांक: 21.10.2022

वयोवृद्ध रोगियों की ओर से एक महीने से अधिक की दवाइयां दिए जाने के अनुरोध में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। यह भी अनुरोध किया जाता रहा है कि लिखे गए मासिक दवाइयां उनकी अनुपस्थिति में उनके संबंधी को सौंप दी जाए।

फलस्वरूप, इस प्रकार के अनुरोध के चिकित्सीय-विधिक संदर्भ पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उन रोगियों को जिन्हें एक महीने से अधिक की दवाएं या ओपीडी में उपस्थित हुए बिना दवाएं लेना चाहते हैं, उन्हें एक समिति की आधिकारिक अनुमित /मंजूरी लेनी होगी।

निम्नलिखित डॉक्टर उक्त समिति के सदस्य होंगे -

1) डॉक्टर लिम चैप युन

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेष)

2) डॉक्टर समीर मुजरे

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

3)डाँ० अलोक साहा

वरिष्ठं चिकित्सा अधिकारी

यह सिमिति प्राप्त आवेदनों की योग्यता को देखते हुए आवश्यक आदेश हेतु निर्णय लेने के लिए सप्ताह में एक बार बैठक करेगी । उक्त सिमित की अनुशंसा के बिना प्रचलित प्रोटोकोल से हटकर ओपीडी में किसी भी रोगियों के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(डॉ डी.दत्त) यागि

मुख्य चिकित्सा अधिकारी